रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/94 REGD. NO. D.L.-33004/94

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 30] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 20, 1995/पौष 30, 1916
No. 30] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 20, 1995/PAUSA 30, 1916

कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जनवरी, 1995

सा का. नि. 39(अ).— केन्द्रीय सरकार, प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का 13) की धारा 36क के साथ पठित धारा 35 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें) नियम, 1985 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें) संशोधन नियम, 1995 है।

(2) ये 31 मार्च, 1989 से प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे ।

2. केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के वेतन और सदस्यों के वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें) नियम, 1985 के नियम 8 में, उपनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(2) उपनियम (1) के अधीन पेंशन की संगणना सेवा के प्रत्येक पूरे वर्ष के लिए एक हजार चार सौ पचास रुपए प्रतिवर्ष की दर पर की जाएगी :

परन्तु नियम के अधीन देय पेंशन की कुल रकम, जिसके साथ पेंशन के संराशित भाग, यदि कोई हो, सहित पेंशन की ऐसी रकम भी है जो अधिकरण में पद धारण करते समय प्राप्त की गई है, या जिसको प्राप्त करने का वह हकदार है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए विहित पेंशन की अधिकतम रकम से अधिक नहीं होगी ।"

स्पष्टीकारक ज्ञापन

केन्द्रीय सरकार ने केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के सदस्यों की पेंशन का 31-3-89 से अर्थात् उस तारीख से पुनरीक्षण करने का विनिश्चय किया है जिससे केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को अनुज्ञेय पेंशन का पुनरीक्षण किया गया है । केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें) नियम, 1985 का तदनुसार भूतलक्षी प्रभाव से, अर्थात् 31 मार्च, 1989 से ही संशोधन किया जा रहा है ।

2 यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव देने से केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के किसी सदस्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है ।

[सं. ए—12018/10/90—ए टी]
श्रीमती सरिता प्रसाद, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पण :— मूल नियम दिनांक 10 अगस्त, 1985 की अधिसूचना सं. सा. का. नि. 644 (ई) की अधिसूचना द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए एवं बाद में निम्नलिखित अधिसूचना द्वारा संशोधित किए गए —

(i) सं. सा. का. नि. 583(अ) दिनांक 18-6-1987
(ii) सं. सा. का. नि. 9 (अ) दिनांक 6-1-1988
(iii) सं. सा. का. नि. 79(अ) दिनांक 4-2-1988
(iv) सं. सा. का. नि. 324(अ) दिनांक 3-3-1988
(v) सं. सा. का. नि. 120(अ) दिनांक 22-2-1989
(vi) सं. सा. का. नि. 417(अ) दिनांक 31-3-1989
(vii) सं. सा. का. नि. 72(अ) दिनांक 30-1-1992
(viii) सं. सा. का. नि. 41(अ) दिनांक 1-2-1993

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th January, 1995

G.S.R. 39(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (c) of sub-section (2) of section 35 read with section 36A of the Administrative Tribunals Act, 1985 13 of 1985), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Administrative Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairman and Members) Rules, 1985, namesiy :—

1. (1) These rules may be called the Central Administrative Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairman, and Members) Amendment Rules, 1995.

(2) They shall be demmed to have come into force on the 31st day of March, 1989.

2. In the Central Administrative Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairman and Members) Rules, 1985 in rule 8,, for sub-rule (2), the followingsub-rule shall be substituted, namely :—

"(2) Pension under sub-rule (1) shall be calculated at the rate of rupees one thousand four hundred and fifty per annum for each completed year of service :

Provided that the aggregate amount of pension payable under this rule together with the amount of any pension including commuted portion of pension, if any, drawn or entitled to be drawn while holding office in the Tribunal shall not exceed the maximum amount of pension prescribed for a judge of the High Court."

EXPLANATION MEMORANDUM

The Central Government has decided to revise the Pension of Members of Central Administrative Tribunal with effect from 31-3-1989, that is the date from which pension admissible to Chairman and Vice-Chairmen of the Central Administrative Tribunal has been revised. The Central Administrative Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairman and Members) Rules, 1985 are being amended accordingly, with retrospective effect, i.e. on and from the 31st March, 1989.

2. It is certified that no Member of the Central Administrative Tribunal is likely to be affected adversely by this notification being given retrospective effect.

[No. A-12018|10|90-AT]

SMT. SARITA PRASAD, Jt. Secy.

Footnote :—The Principal Rules were published in the Gazette of India vide notification No. GSR 644(E), dated the 10th August, 1985 and subsequently amended vide notification—

(i) No. GSR 583(E), dated 18-6-1987.

(ii) No. GSR 9(E), dated 6-1-1988.

(iii) No. GSR 79(E), dated 4-2-1988.

(iv) No. GSR 324(E), dated 3-3-1988.

(v) No. GSR 120(E), dated 22-2-1989.

(vi) No. GSR 417(E), dated 31-3-1989.

(vii) No. GSR 72(E), dated 30-1-1992.

(viii) No. GSR 41(E), dated 1-2-1993.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1995